बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक 13/08/18

संचिका संख्या–12/विविध–10/2015 375 /निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, के पत्रांक–334 दिनांक–06.07.2018 एवं पत्रांक–12/विविध–10/2015–347 दिनांक–30.07.2018 के द्वारा सभी ऑन लाईन आवेदन प्राप्त 1467 अप्रशिक्षित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षकों को सभी संबंधित 06 सरकारी अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों/नालन्दा खुला विश्वविद्यालय/भीमराव अम्वेदकर बिहार विश्वविद्यालय/ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय/मगध विश्वविद्यालय/राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग में बी०एड० में नामांकन हेतु निर्देश पत्र निर्गत किया गया था। राज्य नोडल पदाधिकारी–सह–कुलसचिव, नालन्दा खुला विश्वविद्यालय द्वारा अपने पत्रांक–84 दिनांक–02.08.2018 द्वारा उक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों के नामांकन पर रोक लगाने की अनुशंसा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायादेश एवं महामहिम राज्यपाल के द्वारा अनुमोदित परिनियम का उल्लेख करते हुए की गई। विभागीय आदेश/निर्देश एवं NCTE के प्रावधानों के तहत पुनः विचार करते हुए विभागीय पत्रांक–367 दिनांक–13.08.2018 द्वारा कुलसचिव, नालन्दा खुला विश्वविद्यालय को पूर्व पत्रांक का अनुपालन करते हुए बी०एड० में ससमय नामांकन प्रक्रिया पूर्ण कराने का पत्र दिया गया। पुनः राज्य नोडल पदाधिकारी सह–कुलसचिव, नालन्दा खुला विश्वविद्यालय द्वारा पत्रांक–178 दिनांक–13.08.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि विभागीय पत्रांक–367 दिनांक–13.08.2018 द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विधि सम्मत नही होगा। अतएव उक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए उनके द्वारा नालन्दा खुला विश्वविद्यालय द्वारा CET-B.Ed-2018 के लिए निर्गत सूची के आधार पर ही सभी सरकारी कॉलेजो में नामांकन की अनुमति मॉगी गई है।

पुनः उनके द्वारा पत्रांक–179 दिनांक–13.08.2018 प्रेषित करते हुए अनुरोध किया गया है कि जहाँ तक 1467 अप्रशिक्षित शिक्षकों के नामांकन एवं प्रशिक्षण की बात है तो उनके संबंध में एक प्रस्ताव यह है कि कुलाधिपति कार्यालय द्वारा अनुमोदित परिनियम में इन सभी शिक्षकों के लिए 05 प्रतिशत का आरक्षण कराकर फरवरी 2019 में, सत्र 2019–21 के लिए होने वाले नामांकन में इन्हें नामांकन का अवसर प्रदान किया जा सकता है और इसके लिए कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित परिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भेजा जा सकता है। इस संबंध में सरकार का आदेश प्राप्त होने पर राज्य नोडल पदाधिकारी सह–कुलसचिव, नालन्दा खुला विश्वविद्यालय द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

उक्त परिपेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से विभागीय पत्रांक –334 दिनांक–06.07.2018 एवं पत्रांक–347 दिनांक–30.07.2018 के कार्यान्वयन पर रोक लगाई जाती है। साथ ही CET.B.Ed-2018 प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल उम्मीदवारों के नामांकन की अनुमति दी जाती है।

13/8/18
(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–12/विविध–10/2015 375 /पटना, दिनांकः– 13/08/18

प्रतिलिपिः– सभी प्राचार्य, राजकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय/कुलसचिव, नालन्दा खुला विश्वविद्यालय/कुलसचिव, भीमराव अम्वेदकर बिहार विश्वविद्यालय/कुलसचिव, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय/कुलसचिव, मगध विश्वविद्यालय/प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय गर्दनीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2.सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3.निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को सूचनार्थ प्रेषित।

13/8/18
संयुक्त सचिव

G:\SUMAN MAM\DESKTOP\Sec-12\niranjan jee\Office order .docx 48